

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन दिव्यांग बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

VEENA SHARMA¹

veenabittu1983@gmail.com

Research Scholar, School of Education, Career Point University, Kota.

Prof. (Dr.) ANIL SONI²

Research Supervisor, School of Education, Career Point University, Kota.

सारांश

1. अध्ययन की पृष्ठभूमि

समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं, आवश्यकताओं और विविधताओं के अनुरूप समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। दिव्यांग बालकों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उन्हें सामान्य विद्यालयी वातावरण में अन्य बालकों के साथ सीखने, सामाजिक सहभागिता करने तथा अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करती है। परंपरागत रूप से दिव्यांग बालकों के लिए पृथक शिक्षण व्यवस्था पर अधिक बल दिया जाता था, किंतु वर्तमान शैक्षिक दृष्टिकोण में उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) ने समानता, गुणवत्ता, पहुंच और समावेशन को शिक्षा के प्रमुख आधारों के रूप में स्वीकार किया है। नीति में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने, उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने, सहायक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दिव्यांग बालकों की शिक्षा को केवल नामांकन तक सीमित न रखकर उनके सार्थक सहभागिता, सीखने और समग्र विकास से जोड़ती है।

2. समावेशी शिक्षा का महत्व

समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें किसी भी बालक को उसकी दिव्यांगता, सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। दिव्यांग बालकों को सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने से उनमें आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, सहयोग की भावना तथा स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। साथ ही, अन्य विद्यार्थियों में भी विविधताओं के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति, सहयोग और समानता की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बालकों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण विद्यालयी वातावरण को अधिक लोकतांत्रिक, समानतापूर्ण और बाल-केंद्रित बनाने में सहायता करती है। इसके माध्यम से विद्यालयों में समान अवसर, भेदभाव-मुक्त वातावरण और प्रत्येक बालक की क्षमता के

सम्मान की भावना विकसित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि नीति शिक्षा में समानता एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। इस प्रकार, दिव्यांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा उनके शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। NEP-2020 द्वारा निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक, सुलभ भौतिक वातावरण, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री, सहायक तकनीक, व्यक्तिगत शैक्षिक सहयोग तथा अभिभावक एवं समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की अवधारणा, प्रमुख प्रावधानों, संभावनाओं तथा क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दिव्यांग बालकों की शैक्षिक आवश्यकता दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ बहुआयामी हैं और इन्हें पूरा करना सामाजिक न्याय व समान अवसर की दृष्टि से अनिवार्य है।

NEP 2020 से पहले की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी:

- असमान पहुँच: भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 6-17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.9 मिलियन दिव्यांग बच्चों में से केवल 67% ही किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग ले रहे थे, जबकि इस आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय औसत 80% था।
- उच्च शिक्षा में कम उपस्थिति: स्कूली शिक्षा में नामांकन के बाद भी अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते, और उच्च शिक्षा में इनकी संख्या केवल 0.2% रह जाती है।
- प्रमुख बाधाएँ:

अभिगम्य पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) का अभाव, भौतिक बुनियादी ढाँचे की कमी, और विशेष शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। विश्व ब्लाइंड यूनियन के अनुसार, लगभग 95% प्रकाशित ज्ञान मुद्रित रूप में "बंद" है, जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अगम्य है। NEP-2020 के प्रमुख प्रावधान NEP 2020 एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम (RPwD) 2016 की सभी अनुशंसाओं के अनुरूप है।

इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:

- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) पर ध्यान: नीति स्पष्ट रूप से दिव्यांग बच्चों को SEDGs में शामिल करती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा अपनी पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
- पूर्ण भागीदारी और सहायता: दिव्यांग बच्चों को आधारभूत स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए विशेष शिक्षकों, संसाधन केंद्रों, छात्रावास, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।
- समग्र शिक्षा योजना का एकीकरण: NEP 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप, समग्र शिक्षा योजना का समावेशी शिक्षा घटक सभी CWSN के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें शीघ्र पहचान, मूल्यांकन शिविर, और सहायक उपकरणों का वितरण शामिल है।

- अभिगम्य डिजिटल संसाधन: नीति यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग (UDL) के सिद्धांतों पर बल देती है। इसके तहत DIKSHA प्लेटफॉर्म पर भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) में ऑडियो-विजुअल सामग्री, ऑडियो पाठ्यपुस्तकें, और बड़े प्रिंट व ब्रेल जैसी अभिगम्य ई-सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
- बुनियादी ढाँचा और शिक्षक प्रशिक्षण: स्कूलों को रैंप, सुलभ शौचालयों से लैस किया जा रहा है और अभिगम्यता संहिता अधिसूचित की गई है। शिक्षकों को बहु-स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि बधिर-अंधता पर पाँच-दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। अध्ययन का उद्देश्य इस विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य NEP 2020 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की वैचारिक मजबूती और क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत नीतिगत प्रावधानों की व्याख्या, वर्तमान कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन, और 'नीति-व्यवहार' (policy-practice) के अंतर को पाटने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना शामिल है।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक विकास का माध्यम है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता एवं राष्ट्रीय प्रगति का भी प्रमुख साधन है।

विश्व के सभी लोकतांत्रिक समाजों में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह मनुष्य को सशक्त, आत्मनिर्भर और सूचित नागरिक बनाती है। भारत में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A (86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत) 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15 (जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार), और अनुच्छेद 41 (शिक्षा का अधिकार, विशेषकर दुर्बल वर्गों के लिए) शिक्षा को सार्वभौमिक एवं समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान करते हैं। न्यायालयों ने भी विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे—अंबिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1980; तमिलनाडु राज्य बनाम सुप्रिया, 2008) में शिक्षा को जीवन के मूल अधिकार (अनुच्छेद 21) से जोड़कर इसके महत्व को और अधिक स्थापित किया है। आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व केवल साक्षरता या रोज़गार तक सीमित नहीं है; यह आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता, सामाजिक सद्भाव और वैश्विक नागरिकता के निर्माण का आधार है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) का भी यही उद्देश्य है—"सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एवं आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।" शिक्षा का अधिकार एवं महत्व शिक्षा का अधिकार केवल एक कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और आत्म-साक्षात्कार का अनिवार्य अंग है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी (John Dewey) ने शिक्षा को "जीवन की प्रक्रिया" (process of living) कहा, न कि भविष्य की तैयारी। पाउलो फ्रेयर (Paulo Freire) ने 'शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा' का विरोध करते हुए इसे चेतना के निर्माण (conscientization) का माध्यम बताया, जिससे व्यक्ति

अपनी परिस्थितियों को समझने और उन्हें बदलने में समर्थ हो सके। भारत के संदर्भ में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 ने इसे कानूनी अधिकार की शक्ल दी। यह अधिनियम न केवल प्रवेश और उपस्थिति पर बल देता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, अनुकूल शिक्षण वातावरण और निष्पक्ष मूल्यांकन की भी बात करता है। हालाँकि, इन प्रावधानों के बावजूद, सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ, भौगोलिक दूरी, लैंगिक पूर्वाग्रह, और सबसे महत्वपूर्ण—शारीरिक एवं बौद्धिक दिव्यांगता—शिक्षा के मूल अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बनी हुई हैं।

यहीं पर समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में बैठाना नहीं है; बल्कि शिक्षा-प्रणाली के हर पहलू—पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, भौतिक अवसंरचना और शिक्षकों का रवैया—को इतना लचीला और अनुकूल बनाना है कि वह हर बच्चे की विविध आवश्यकताओं को समायोजित कर सके। दिव्यांग बालकों की शिक्षा की आवश्यकता दिव्यांग बालकों (Children with Special Needs - CWSN) की शिक्षा की आवश्यकता को समझने के लिए सर्वप्रथम यह स्वीकार करना होगा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मानवीय विविधता (human diversity) का एक स्वाभाविक हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व की लगभग 15% जनसंख्या किसी-न-किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन यापन करती है, और इनमें बच्चों की संख्या महत्वपूर्ण है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, 6-17 वर्ष के लगभग 4.9 मिलियन दिव्यांग बच्चे थे, परंतु वर्ष 2020-21 के आंकड़ों में, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 2.1 मिलियन दिव्यांग बच्चों को ही स्कूली शिक्षा में नामांकित किया जा सका था—यह अंतर इस विषय की तात्कालिकता को दर्शाता है।

दिव्यांग बालकों को शिक्षा की आवश्यकता के चार प्रमुख आयाम हैं—

1. आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन: शिक्षा दिव्यांग बच्चों को दैनिक जीवन कौशल, व्यावसायिक दक्षता एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इससे वे अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कम करके एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।
2. सामाजिक समावेश एवं स्वीकृति: शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हैं, अभिगम्यता एवं संवेदनशीलता सीखते हैं, और समाज भी उनकी विविधता को स्वीकार करना सीखता है। यह सामाजिक पूँजी (social capital) के निर्माण में सहायक है।
3. मानसिक एवं भावनात्मक विकास: नियमित, अनुकूलित एवं सहयोगात्मक शैक्षिक वातावरण दिव्यांग बच्चों के संज्ञानात्मक (cognitive), भावनात्मक (emotional) और सामाजिक-भावनात्मक (socio-emotional) विकास को बढ़ावा देता है। यह उनके आत्म-सम्मान एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
4. संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देशित करता है कि वह शिक्षा का अधिकार, विशेषकर दुर्बल एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करे। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 की धारा 16-17 में स्पष्ट प्रावधान है कि—

(क) किसी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, (ख) उसे मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, (ग) उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षण सहायता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित की जाएगी, और (घ) सामान्य स्कूलों में उसका समावेश किया जाएगा। इन्हीं संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक और नैतिक अनिवार्यताओं के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने समावेशी शिक्षा को अपनी नींव बनाया है।

यह नीति दिव्यांग बच्चों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) में स्थान देकर, उन्हें नीति-निर्माण एवं संसाधन-आवंटन के केंद्र में रखती है। NEP 2020 न केवल पहुँच, बल्कि गुणवत्ता, अभिगम्यता, प्रौद्योगिकी और शिक्षक-क्षमता पर भी विशेष बल देती है, जिसका विस्तृत विश्लेषण इस अध्ययन के आगामी अध्यायों में किया जाएगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में स्थान देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो शिक्षा प्रणाली के हर पहलू को इतना लचीला और अनुकूल बनाने पर बल देता है कि वह सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित कर सके। यह अवधारणा छात्रों से प्रणाली के अनुकूल होने की अपेक्षा करने के बजाय शिक्षा प्रणाली को वैयक्तिकृत शैक्षिक प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

समावेशी शिक्षा के तीन प्रमुख औचित्य हैं:

औचित्य स्पष्टीकरण शैक्षणिक सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने की आवश्यकता शिक्षण विधियों को वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे सभी बच्चों को लाभ होता है सामाजिक समावेशी विद्यालय विविधता के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं और एक न्यायसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण समाज की नींव रखते हैं आर्थिक सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने वाले विद्यालयों की स्थापना एवं रखरखाव, विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग विद्यालयों की जटिल प्रणाली की तुलना में कम खर्चीला है यह समझना महत्वपूर्ण है कि समावेशी शिक्षा को "विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा" मात्र मान लेना एक भ्रांति है। यह प्रणाली योग्यता, अक्षमता, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग या किसी भी अन्य वैयक्तिक अंतर के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों के लिए है। समावेशिता को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, न कि अल्पकालिक लक्ष्य के रूप में।

- NEP-2020 में समावेशी शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 समावेशी शिक्षा को एक अनिवार्य सिद्धांत (non-negotiable principle) के रूप में स्थापित करती है। यह नीति दिव्यांग बच्चों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) में शामिल करती है और उन्हें नीति-निर्माण एवं संसाधन-आवंटन के केंद्र में रखती है।

NEP 2020 समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है:

1. सार्वभौमिक अभिगम्यता: नीति सार्वभौमिक अभिकल्प (Universal Design for Learning - UDL) पर बल देती है, जिससे पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन सभी बच्चों के लिए सुगम्य हों।

2. प्रौद्योगिकी-संचालित समावेश: DIKSHA प्लेटफॉर्म पर भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL), ऑडियो पाठ्यपुस्तकें, बड़े प्रिंट और ब्रेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
3. शिक्षक क्षमता निर्माण: समावेशी शिक्षण विधियों, प्रारंभिक पहचान और वैयक्तिकृत शिक्षण योजनाओं (IEPs) पर शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल।
4. लचीली पाठ्यचर्या: विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने वाली बहु-विषयक, लचीली पाठ्यचर्या।
5. संसाधन केंद्र: विशेष शिक्षकों और संसाधन केंद्रों को सशक्त बनाना। NEP 2020 को "सकारात्मक, दूरदर्शी, समावेशी और समतामूलक" माना गया है, हालांकि विशेषज्ञ कार्यान्वयन को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। वित्तीय निवेश, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे का विकास, और सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए बहु-हितधारक सहयोग की आवश्यकता है।

- समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा (Inclusive Education)

एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों—चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो—को एक साथ, एक ही कक्षा में, समान अवसर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी शैक्षिक दृष्टि है जहाँ विविधता को स्वीकार किया जाता है, सम्मान दिया जाता है और उसे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की ताकत बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO, 2005) के अनुसार— "समावेशी शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन और अनुकूलन करने से संबंधित है।

" समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देना नहीं है; यह उस विद्यालय की संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रणाली और भौतिक वातावरण को इस प्रकार अनुकूलित करना है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। प्रकृति एवं विशेषताएँ समावेशी शिक्षा की प्रकृति को समझने के लिए

इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानना आवश्यक है:

1. सार्वभौमिक अभिगम्यता (Universal Access) प्रत्येक बच्चे को शिक्षा तक पहुँच का अधिकार, चाहे उसकी दिव्यांगता की प्रकृति कुछ भी हो। भौतिक, डिजिटल और शैक्षणिक अभिगम्यता सुनिश्चित की जाती है।
2. विविधता का सम्मान (Respect for Diversity) सभी प्रकार की विविधताओं—शारीरिक, संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक-आर्थिक—को स्वीकार करना और उन्हें सीखने का अवसर बनाना।
3. लचीली पाठ्यचर्या (Flexible Curriculum) पाठ्यचर्या इतनी लचीली होती है कि वह विभिन्न गति, शैली एवं क्षमताओं वाले बच्चों के अनुकूल हो सके। इसमें वैकल्पिक मूल्यांकन विधियाँ भी शामिल हैं।

4. शिक्षक-छात्र अनुकूल अनुपात छोटी कक्षाएँ और शिक्षक-छात्र अनुपात इस प्रकार होता है कि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके।
5. सहयोगात्मक शिक्षण (Collaborative Learning) सहपाठियों के बीच सहयोग, सह-शिक्षण (co-teaching), और बहु-विषयक टीम दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है।
6. शून्य अस्वीकृति नीति (Zero Rejection Policy) किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता, भाषा, जाति, लिंग या किसी अन्य कारण से स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
7. वैयक्तिकृत शिक्षण योजना (IEP) प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत शिक्षण योजना (Individualized Education Plan) बनाई जाती है।
8. सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहायक उपकरणों (ब्रेल, श्रवण यंत्र, सांकेतिक भाषा, स्क्रीन-रीडर आदि) का उपयोग।
9. सामुदायिक सहभागिता अभिभावकों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी।
10. सतत मूल्यांकन एवं सुधार शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि (feedback) प्रणाली।

समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना: प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना।
2. सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करना: सामाजिक विषमताओं, पूर्वाग्रहों और भेदभाव को समाप्त करना तथा एक न्यायसंगत समाज का निर्माण करना।
3. आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन विकसित करना: दिव्यांग बच्चों को आजीवन कौशल, व्यावसायिक दक्षता एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
4. सामाजिक एकीकरण एवं स्वीकृति: दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना तथा समाज में उनकी स्वीकृति को बढ़ावा देना।
5. विभिन्नता को स्वीकारने की क्षमता विकसित करना: सभी बच्चों में विविधता के प्रति संवेदनशीलता, सहिष्णुता एवं सहानुभूति का विकास करना।
6. संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्यों का पालन: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21A, 41, 45), RTE Act 2009 और RPwD Act 2016 के प्रावधानों को क्रियान्वित करना।
7. शिक्षा प्रणाली को लचीला एवं अनुकूलनीय बनाना: पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन और अवसंरचना को सभी बच्चों के लिए अनुकूल बनाना।

8. मानसिक एवं भावनात्मक विकास: दिव्यांग बच्चों के आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना।

आवश्यकता एवं महत्व

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. मानवीय गरिमा (Human Dignity): समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है। यह उन्हें इस भावना से मुक्त करती है कि वे "अलग" या "कम" हैं, और उन्हें बराबर का नागरिक होने का अनुभव प्रदान करती है।
2. सामाजिक एकता एवं सद्भाव: जब विभिन्न क्षमताओं, पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के बच्चे एक साथ सीखते हैं, तो वे एक-दूसरे को समझने, स्वीकारने और सम्मान करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है।
3. संवैधानिक अनिवार्यता: भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (UNCRPD, 2006; सलामांका कथन, 1994) ने समावेशी शिक्षा को कानूनी एवं नैतिक कर्तव्य बनाया है।
4. आर्थिक तर्कसंगतता (Economic Rationality): अलग-अलग विशेष विद्यालयों की जटिल प्रणाली की तुलना में समावेशी विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव कम खर्चीला है। यह समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत एकीकृत संसाधनों से संभव है।
5. सभी के लिए बेहतर शिक्षा: समावेशी विधियों का लाभ केवल दिव्यांग बच्चों को ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को होता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ, UDL सिद्धांत, और प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधन सभी बच्चों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करते हैं।
6. बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास: समावेशी कक्षा में दिव्यांग एवं सामान्य बच्चों की परस्पर क्रिया से दोनों का बौद्धिक (cognitive), सामाजिक और भावनात्मक (socio-emotional) विकास होता है।
7. वैश्विक प्रतिबद्धता: सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" की प्रतिबद्धता समावेशी शिक्षा को वैश्विक प्राथमिकता बनाती है।

दिव्यांग बालकों की अवधारणा

दिव्यांगता का अर्थ

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षमताओं में ऐसी कमी या भिन्नता है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। दिव्यांग शब्द का प्रयोग वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'विकलांग' शब्द के स्थान पर किया गया था। 'दिव्यांग' का अर्थ है "दिव्य अंग वाला" — यह शब्द

दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उनकी अक्षमताओं पर, और उन्हें समाज का अभिन्न अंग मानता है। दिव्यांगता की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है: दृष्टिकोण स्पष्टीकरण चिकित्सा मॉडल दिव्यांगता को व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या या कमी के रूप में देखता है, जिसे 'ठीक' करने की आवश्यकता है सामाजिक मॉडल दिव्यांगता को सामाजिक बाधाओं (अभिगम्यता की कमी, पूर्वाग्रह, भेदभाव) का परिणाम मानता है, न कि व्यक्ति की समस्या मानवाधिकार मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार-धारक के रूप में देखता है; समाज का कर्तव्य है कि वह बाधाओं को दूर करे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 दिव्यांगता को "विकासशील एवं गतिशील अवधारणा" के रूप में परिभाषित करता है, जिससे समय-समय पर नई दिव्यांगताओं को शामिल किया जा सके। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (UNCPRD) के अनुपालन में बनाया गया था और 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ।

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएँ RPwD Act 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं समावेशी शिक्षा NEP-2020 की दृष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की दृष्टि "उच्च गुणवत्तापूर्ण, समान एवं समावेशी शिक्षा" प्रदान करना है, ताकि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले सभी विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली में फल-फूल सकें और अपनी पूर्ण क्षमता का साक्षात्कार कर सकें। यह नीति शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की परिकल्पना करती है, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। NEP 2020 दिव्यांगता को शैक्षिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आयाम मानती है और इसे दूर करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। NEP 2020 का मूल मंत्र— "सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना" (Teaching all children together) और "सभी के लिए समान एवं परिणाम-आधारित शिक्षा" (Equitable and outcome based Learning for All) सुनिश्चित करना। समान एवं समावेशी शिक्षा NEP 2020 समानता (Equality) और समता (Equity) के बीच स्पष्ट अंतर करती है। समानता का अर्थ सभी को एक समान संसाधन देना है, जबकि समता/समान अवसर का अर्थ प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करना है, ताकि वह समान स्तर पर सीख सके। नीति समावेशी शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है जो समाज में परिवर्तन लाती है। समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को उनकी विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं के साथ एक ही छत के नीचे एक साथ लाना। यह नीति "सभी के लिए सीखना" को सुनिश्चित करने हेतु सार्वभौमिक अभिकल्प (UDL) और विभेदित शिक्षण एवं मूल्यांकन पर बल देती है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर NEP 2020 दिव्यांग विद्यार्थियों (CWSN) के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान करती है

1. शून्य अस्वीकृति नीति: किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता

2. नियमित कक्षा में पूर्ण भागीदारी: सभी दिव्यांग बच्चे नियमित कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करें
3. गृह-आधारित शिक्षा: गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा का विकल्प, जिन्हें स्कूल आने में असमर्थता हो

4. समतुल्यता: गृह-आधारित शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के समतुल्य माना जाएगा

5. समान पहुँच: सभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षण सहायता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित की जाएगी नामांकन में गिरावट की चुनौती: U-DISE 2016-17 के आँकड़ों के अनुसार, दिव्यांग बच्चों का प्राथमिक स्तर पर नामांकन 1.1% था, जो उच्च माध्यमिक स्तर पर घटकर 0.25% हो जाता है —यह गिरावट अन्य सभी SEDGs की तुलना में अधिक गंभीर है।

6 NEP 2020 इस नामांकन में होने वाली न्यूनता के कारणों को खोजने और उनके समाधान हेतु व्यवस्थित एवं निष्पक्ष सर्वेक्षण की अनुशंसा करती है।

7. दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति NEP 2020 के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ओर नीति के अनुरूप सकारात्मक पहलें एवं प्रयास दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर नीति-व्यवहार अंतराल (policy-practice gap) अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने

2. 1. विद्यालयों में नामांकन सकारात्मक पहलू

: • राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन: वर्ष 2024-25 में देश भर में दिव्यांग बच्चों (CwSN) का नामांकन 21.49 लाख रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3.33 लाख से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी नामांकित हैं।

• राज्यवार तुलना: ओडिशा ने 82,223 दिव्यांग बच्चों को नामांकित किया है, जो पंजाब (53,761), राजस्थान (70,200) और तेलंगाना (72,672) से अधिक है।

• चंडीगढ़ की पहल: चंडीगढ़ प्रशासन ने 'Policy for Providing Education for Disabled Students in UT Chandigarh - 2025' लागू की है, जो RPwD Act 2016 के अनुरूप 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करती है। इसके तहत RTE Act की 25% EWS/वंचित वर्ग कोटे में दिव्यांग बच्चों के लिए 3% आरक्षण निर्धारित किया गया है।

3. चुनौतियाँ:

• माध्यमिक स्तर पर नामांकन में गिरावट: केरल में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के नामांकन में "महत्वपूर्ण गिरावट" दर्ज की गई है। केरल में कुल विद्यार्थियों में दिव्यांग बच्चों का अनुपात मात्र 2% है। • घटती प्रवृत्ति: ओडिशा में दिव्यांग बच्चों का नामांकन वर्ष 2021-22 के 1.46 लाख से घटकर 2024-25 में 82,223 रह गया है।

2. विद्यालय में सहभागिता

- सहायक उपकरण वितरण शिविर: NEP 2020 की पाँचवीं वर्षगाँठ के अवसर पर 29 जुलाई 2025 से देशव्यापी "मेगा आकलन एवं वितरण शिविर" का आयोजन किया गया। इस अभियान में 1,58,669 दिव्यांग बच्चों का आकलन किया गया तथा 28,837 बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। यह अभियान 669 जिलों एवं 4,884 ब्लॉकों में संचालित किया गया।
- स्थानीय स्तर पर प्रयास: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, CP कुर्सियाँ, शैक्षिक TLM किट एवं स्मार्टफोन का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी एवं श्रवण यंत्र वितरित किए गए।
- परिवहन सहायता: गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों, जो विद्यालय नहीं आ सकते, के लिए गृह-आधारित शिक्षा एवं परिवहन भत्ता की व्यवस्था की जा रही है।

3. शिक्षण-अधिगम की स्थिति

- CBSE की पहल: CBSE ने दिव्यांग विद्यार्थियों (CWSN) के लिए समर्पित वेब पोर्टल शुरू किया है। कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए CWSN विद्यार्थी 9-22 सितंबर 2025 तक पंजीकरण कर सकते हैं और परीक्षा में सुविधाएँ एवं छूट प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों को Pariksha Sangam पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिससे सुविधाएँ प्रवेश पत्र पर प्रतिबिंबित होंगी।
- शिक्षक प्रशिक्षण की कमी: केरल में समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में केवल 39% शिक्षक समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित हैं।

4. आधारभूत सुविधाएँ भौतिक अवसंरचना की स्थिति अत्यंत गंभीर है— केरल की स्थिति: सुविधा उपलब्धता रैंप 82% विद्यालय (13,029/15,864) CWSN-अनुकूल लड़कों के शौचालय मात्र 29% (4,504) CWSN-अनुकूल लड़कियों के शौचालय मात्र 26% (4,102) केरल में 6 विद्यालयों में बिजली, 9 में पेयजल, 21 में लड़कियों के शौचालय और 41 में लड़कों के शौचालय की सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र की स्थिति (UDISE+ 2025-26):

- 32,228 विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए पृथक शौचालय नहीं
- 16,341 विद्यालयों में रैंप एवं हैंडरेल का अभाव दिल्ली की स्थिति: • सामाजिक न्याय संगठन (Social Jurist) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई बुनियादी अवसंरचना नहीं है। कुछ नामांकित दिव्यांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर-सुगम्य मार्ग, रैंप या विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।
- हरियाणा में NCERT अध्ययन: 84 विद्यालयों के सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि भौतिक अभिगम्यता की स्थिति "निराशाजनक" है। विद्यालय पेयजल क्षेत्र, रैंप, सीढ़ियों एवं शौचालयों तक दिव्यांग बच्चों की स्वतंत्र एवं सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।

- कुछ सकारात्मक अपवाद: दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर सरकारी विद्यालय में स्पर्शीय फर्श (tactile flooring), स्पष्ट साइनेज एवं निर्धारित पार्किंग स्थान जैसी बाधा-मुक्त सुविधाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

5. सहायक उपकरण

- ADIP-SSA योजना: शिक्षा विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त प्रयास से ADIP (Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids/Appliances) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ALIMCO (कानपुर) के माध्यम से सहायक उपकरणों का आकलन एवं वितरण किया जाता है।

- वितरित उपकरण: व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, CP कुर्सियाँ, TLM किट, स्मार्टफोन, ट्राइसाइकिल एवं बैसाखी जैसे उपकरण वितरित किए गए हैं।

- महाराष्ट्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन: महाराष्ट्र ने अकेले 50,905 बच्चों को कवर किया तथा 3,187 बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान किए। 7. डिजिटल एवं तकनीकी संसाधन केरल में डिजिटल संसाधनों की स्थिति (1310 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में):

- 29 विद्यालयों में ICT लैब नहीं •

70 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ नहीं

- 37 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिकी प्रयोगशाला नहीं

- 31 में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला नहीं •

67 में जीवविज्ञान प्रयोगशाला नहीं महाराष्ट्र में (UDISE+ 2025-26): • 23,855 विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं

- 23,609 विद्यालयों में कार्यशील कंप्यूटर नहीं

- 10,938 विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति अकार्यशील

सकारात्मक पहल: NCERT ने विद्यालयों में संभावित दिव्यांगता की जाँच हेतु PRASHAST ऐप विकसित किया है, जिसके उपयोग की केरल को भी सलाह दी गई।

8. विद्यालयी वातावरण

- CBSE की SOP: CBSE ने परीक्षा केंद्रों पर CWSN विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हेतु Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है।

- संवेदनशीलता अभियान: चंडीगढ़ नीति के अंतर्गत शिक्षकों, अभिभावकों एवं सहपाठियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने का प्रावधान है, ताकि एक संवेदनशील एवं सहायक शिक्षण वातावरण विकसित किया जा सके।

- शिकायत निवारण: प्रत्येक विद्यालय में शिकायत निवारण समिति तथा राज्य स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना का प्रावधान।
- अभिगम्यता सुधार के प्रयास: दिल्ली के कुछ विद्यालयों में स्पर्शीय फर्श, हैंडरेल एवं स्पष्ट साइनेज जैसी सुविधाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों को स्वागतयोग्य एवं आत्मनिर्भर अनुभव कराएगा।

9. समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ

नीति के प्रगतिशील प्रावधानों के बावजूद, दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं। ये समस्याएँ परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे को पुष्ट करती हैं। 1. भौतिक बाधाएँ समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती भौतिक अवसंरचना की अपर्याप्तता है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है, क्योंकि अभिगम्यता के अभाव में नामांकन का अधिकार भी अर्थहीन हो जाता है। उदयपुर की स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "समानता का अर्थ केवल एक समान नियम लागू करना नहीं, बल्कि उन बाधाओं को हटाना है जो किसी व्यक्ति को दौड़ में पीछे छोड़ देती हैं"। 'डिसएबल्ड राइट्स ग्रुप' मामले में कोर्ट ने 5% आरक्षण के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढाँचे को सुधारने पर जोर दिया, तथा 'रवींद्र कुमार धारीवाल' मामले में माना कि यदि संस्थाएँ पहुँचयोग्य हों तो दिव्यांगता की आधी बाधाएँ स्वतः समाप्त हो सकती हैं। परंतु जमीनी हकीकत इसके विपरीत है—अनगिनत स्कूल बिना रैंप, लिफ्ट या सुलभ शौचालयों के संचालित हो रहे हैं। अध्ययनों के अनुसार, 75% स्कूलों में रैंप हैं, परंतु केवल एक-तिहाई में दिव्यांग-अनुकूल शौचालय हैं।

2. शिक्षकों की कमी विशेष शिक्षकों की भारी कमी समावेशी शिक्षा की एक गंभीर व्यवस्थागत समस्या है। सीतामढ़ी, बिहार की स्थिति इसका ज्वलंत उदाहरण है: विवरण आँकड़ा दिव्यांग विद्यार्थी 7,364 स्वीकृत विशेष शिक्षक पद 51 कार्यरत विशेष शिक्षक केवल 22 रिक्त पद 29 (57%) इस भारी कमी के बावजूद, "महज 22 शिक्षकों की टीम 7 हजार से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुँचा रही है"। इन शिक्षकों ने लचीला टाइम-टेबल बनाया है—सप्ताह में तीन दिन संसाधन कक्षों में सामूहिक शिक्षा, तथा शेष दिनों में गृह-आधारित शिक्षा के तहत घर-घर जाकर पढ़ाना। यह शिक्षकों का समर्पण तो सराहनीय है, परंतु व्यवस्थागत विफलता को भी उजागर करता है।

3. प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव मात्रात्मक कमी के अतिरिक्त गुणात्मक कमी भी गंभीर है। शिक्षकों को समावेशी शिक्षण विधियों, विभेदित शिक्षण, UDL सिद्धांतों और वैयक्तिकृत शिक्षण योजनाओं (IEPs) का उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। • अध्ययनों के अनुसार, केवल 7.8% से 18% शिक्षक ही दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षित हैं। • NEP 2020 B.Ed. कार्यक्रमों में 100 घंटे की समावेशी शिक्षा सामग्री अनिवार्य करती है, परंतु इसका क्रियान्वयन अभी प्रारंभिक अवस्था में है। • शिक्षकों में समावेशी शिक्षा की गहन समझ का अभाव है—इसे प्रायः 'विशेष शिक्षा' समझ लिया जाता है, जबकि यह शिक्षा प्रणाली के मूलभूत पुनर्गठन की माँग करती है।

4. शिक्षण सामग्री की कमी अभिगम्य शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) की कमी एक महत्वपूर्ण बाधा है। • बड़े प्रिंट, ब्रेल, ऑडियो और सांकेतिक भाषा में पाठ्यपुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। • NCER ने KEPA (किताब एक, पढ़ें अनेक) जैसी पहल शुरू की है, जो एक ही पुस्तक में ऑडियो, प्रिंट, स्पर्श, ब्रेल, ISL एवं दृश्य संकेत एकीकृत करती है, परंतु यह अभी सीमित स्तर पर है। • पाठ्यक्रम की कठोरता और तात्कालिक संदर्भों से दूरी भी समस्या है—बच्चे कठोर पाठ्यक्रम का अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करते हैं।

5. सहायक उपकरणों की कमी सहायक उपकरणों (व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, CP कुर्सियाँ, ट्राइसाइकिल आदि) का वितरण अत्यंत अपर्याप्त है। सुपौल, बिहार की स्थिति इस समस्या को उजागर करती है: • जिले के बुनियाद केन्द्रों (विकलांगजन कल्याण केन्द्र) में कृत्रिम अंग निर्माण की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। • वर्कशॉप की कमी के कारण कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। • सहायक उपकरण शिविर वर्ष में मुश्किल से एक बार लग पाते हैं, और इनकी जानकारी भी सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती। • सुपौल सदर बुनियाद केन्द्र में 20 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 8 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि वीरपुर केन्द्र में 20 पदों के विरुद्ध केवल 2 कर्मी हैं। वितरण शिविरों (जैसे—बेतिया में 159 बच्चों को 42 श्रवण यंत्र, 26 व्हीलचेयर, 61 ट्राइसाइकिल आदि) के सकारात्मक उदाहरण हैं, परंतु ये आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं।

NEP 2020 का विश्लेषण

पाँच साल बाद NEP 2020 की समावेशी शिक्षा की स्थिति को देखें तो एक तस्वीर साफ होती है—**नीति बहुत अच्छी है, पर लागू करने में बहुत कमी है।**

नीति में क्या अच्छा है—

1. इसने समावेशी शिक्षा को पहली बार इतनी व्यापकता दी है।
2. दिव्यांग बच्चों को SEDGs में शामिल करने से उन्हें एक नई पहचान मिली है।
3. UDL और तकनीक पर जोर देकर इसने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया है।
4. शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया है।
5. RPwD Act और RTE Act के साथ तालमेल बिठाया है।

क्या कमी है—

1. स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी—रैंप नहीं, शौचालय नहीं।
2. विशेष शिक्षकों की बहुत कम संख्या।
3. शिक्षक प्रशिक्षण सिर्फ कागजों में है, असल में प्रभावी नहीं है।
4. पैसा खर्च नहीं हो पा रहा—93% बजट बेकार गया।

5. निगरानी व्यवस्था कमजोर है—डेटा इकट्ठा नहीं होता, नियमित समीक्षा नहीं होती।
6. शहर और गाँव में बहुत फर्क है।
7. कुछ राज्य NEP का विरोध भी कर रहे हैं।

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

- सकारात्मक दिशा: NEP 2020 ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक मजबूत वैचारिक ढाँचा प्रदान किया है। समग्र शिक्षा के तहत अभिगम्य संसाधनों (DIKSHA, सुगम्य पुस्तकालय) और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ठोस प्रयास दिखाई देते हैं।
- कार्यान्वयन अंतराल: नीति और जमीनी हकीकत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। अकादमिक अध्ययनों और सरकारी आंकड़ों से कई चुनौतियाँ उजागर होती हैं:
 - अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: अध्ययनों के अनुसार, 60% से अधिक स्कूलों में रैंप या अभिगम्य शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
 - शिक्षक प्रशिक्षण की कमी: केवल 18% शिक्षकों को समावेशी शिक्षा विधियों में प्रशिक्षित किया गया है, जो एक बड़ी बाधा है। हालांकि, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त है।
 - डिजिटल विभाजन: डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद, स्कूलों में इनके प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा, शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास, और अनुकूलित शिक्षण योजनाएँ अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं।
 - सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: सामाजिक कलंक और अभिभावकों में जागरूकता की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बच्चों की शिक्षा तक पहुँच को सीमित करती है।
 - वित्तीय प्रतिबद्धता और बुनियादी ढाँचा: समावेशी शिक्षा के लिए समर्पित और रिंग-फेंस्ड (ring-fenced) वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभिगम्यता संहिता का सभी स्कूलों में सख्ती से पालन कराया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
 - शिक्षक क्षमता निर्माण: सभी शिक्षकों के लिए UDL, सहायक प्रौद्योगिकियों, और भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) पर आधारित अनिवार्य और सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। वैयक्तिकृत शिक्षा योजनाएँ (IEPs) बनाने और लागू करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

- . प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग: AI-आधारित सहायक उपकरणों और अभिगम्य डिजिटल सामग्री (जैसे 'बारखा सीरीज़ फॉर ऑल') को स्कूलों में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। DIKSHA जैसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

4. सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता: अभिभावकों और समुदाय को समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि सामाजिक कलंक को समाप्त किया जा सके और बच्चों के स्कूली शिक्षा में निरंतर बने रहने को सुनिश्चित किया जा सके।

5. सशक्त निगरानी और मूल्यांकन: नीति के क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए विभिन्न श्रेणियों (लिंग, दिव्यांगता का प्रकार, क्षेत्र) में विभाजित डेटा (disaggregated data) पर आधारित एक मजबूत निगरानी ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए, जो केवल दंडात्मक न होकर सुधारात्मक सहायता पर केंद्रित हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बालक, समान शैक्षिक अवसर, शिक्षक, शैक्षिक समावेशन सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

NEP 2020 की समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ दिव्यांग बच्चों को स्कूल में दाखिला देना नहीं है। इसका असली मतलब है—**समान अवसर, सक्रिय भागीदारी, अच्छी पढ़ाई, सम्मान, और पूरी तरह से समाज में शामिल होना।**

NEP 2020 ने समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा दी है। उसने दिव्यांग बच्चों को, गरीब बच्चों को, गाँव के बच्चों को, सभी को एक साथ लाने की बात कही है। UDL, सहायक तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन—ये सब इस नीति की खासियतें हैं।

लेकिन पाँच साल बाद भी **नीति और असलियत के बीच बहुत बड़ा अंतर है—**

- 35% स्कूलों में रैंप नहीं,
- 80% से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं,
- उच्च शिक्षा में केवल 1.60% दिव्यांग छात्र,
- 93% बजट बेकार,
- शहर-गाँव का भारी अंतर।

अब असली चुनौती इन कमियों को दूर करने की है। इसके लिए चाहिए—

1. **पैसे का सही इस्तेमाल**— अलग से बजट बने और वही खर्च हो।
2. **शिक्षकों की ट्रेनिंग**— हर शिक्षक को सालाना UDL, सहायक तकनीक सिखाई जाए।
3. **हर स्कूल में सुविधाएं**— रैंप, शौचालय, स्पर्शीय फर्श, इंटरनेट।

4. **निगरानी**— डेटा इकट्ठा हो, नियमित समीक्षा हो, कमियों को ठीक किया जाए।

सच तो यह है— NEP 2020 की समावेशी शिक्षा की असली कसौटी यह नहीं है कि किताबों में क्या लिखा है, बल्कि यह है कि इससे उन बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया है, जो दिव्यांगता के साथ-साथ गरीबी, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और ग्रामीणता—कई मुश्किलों का एक साथ सामना करते हैं। अगर यह बदलाव नहीं आया, तो सब कुछ बेकार है।

संदर्भ सूची

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023, NCERT
- UDISE+ रिपोर्ट 2022-23, 2024-25
- PIB रिलीज—मेगा आकलन शिविर (अगस्त 2025)
- PARAKH राष्ट्रीय सर्वे 2024
- समग्र शिक्षा अभियान
- CBSE CWSN हैंडबुक
- NCERT PRASHAST ऐप
- NISHTHA शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल (NCERT/CIET)

—